निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 33/2020
दायरा दिनांकः—22.07.2020
निर्णय दिनांकः— 19-3-25

उनवान

1. धुली बाई आयु 80 वर्ष पत्नि स्व0 मांग्या जाति लोधा निवासी ग्राम बापचा
2. गुड्डी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री स्व0 मांग्या जाति लोधा निवासी ग्राम बापचा
3. कौशल्या बाई आयु 60 वर्ष पुत्री स्व0 मांग्या जाति लोधा निवासी ग्राम बापचा हाल निवासी कोटडा मेघनाथ तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामचरण आयु 52 वर्ष पुत्र स्व0 मांग्या जाति लोधा निवासी ग्राम बापचा
2. रामकली बाई आयु 55 वर्ष पुत्री मांग्या स्व0 चिंरोजीलाल जाति लोधा हाल निवासी बांकखेडा तहसील कुंभराज जिला गुना म0प्र0
3. सावित्री बाई आयु 50 वर्ष पत्नि रामचरण जाति लोधा निवासी ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 19-3-25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भंवरसिंह जादौन — प्रार्थी
2. श्री राजेश लोधा — प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 29 की खसरा नंबर 167 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 168 रकबा 07 विस्वा, खसरा नंबर 169 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 170 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 171/2 रकबा 02 बीघा 04 विस्वा, खसरा नंबर 172 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 176 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा कुल किता सात रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके माल पीपलखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 का हिस्सा 1/5—1/5 स्थित है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसे इस प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 की पैत्रिक भूमि है. जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। प्रार्थी कम 1 के पति व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कम 2 ता 3 तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता मांग्या का स्वर्गवास दिनांक 7.05.18 को हो चुका है। जिसके प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 जायज वारिसान व कायम मुकामान है। इनके अलावा उनके अन्य कोई जायज वारिसान अथवा कायम मुकामान नहीं है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 के मध्य मौके पर पारिवारिक बंटवारा हो रहा है, जिसके अनुसार सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर कात करते चले आ रहे हैं तथा प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमियात अप्रार्थी कम 1 को मुनाफे काश्त पर दे रखी थी, जिसके अनुसार अप्रार्थी कम 1 हर वर्ष प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि की आधी फसल बतौर पांती दे देता था। गत वर्ष से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि का अधिक उपजाउपन देखकर अप्रार्थी कम 1 के मन में बदनियती आ गई है तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से 3/5 की पांती की आधी फसल देने से इंकार कर दिया तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि की मेडे तोड़कर स्वयं के हिस्से की आराजी में मिला लिया तथा उसने प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को किसी को काश्त नहीं करने तथा काश्त करने पर जान से मारने की धमकी दी है। अप्रार्थी कम 1 मृतक मांग्या का फोती इतकाल राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर प्रार्थीगण का अप्रार्थी कम 2 की जगह फर्जी तरीके से उसकी पुत्रियों के नाम दर्ज करवाकर अन्य व्यक्तियों को बेचान करना चाहता है. जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र रिसीवर नियुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी अप्रार्थी कम 1 ने अन्य किसी व्यक्ति को रहन बिल कब्ज, बेचान या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित कर दिया और प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से पुनः भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकेंगे और अनैकानेक मुकदमों में उलझना पड़ेगा। इस कारण प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी क्रम 2,3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पीपलखेडी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 29 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पीपलखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1, 2 का हिस्सा 1/5, 1/5 स्थित है विवादित आराजी पैत्रक है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार है प्रार्थीगण के पिता मांग्या का दिनांक 17.05.2018 को स्वर्गवास हो गया है विवादित आराजी का पारिवारिक बटवारा हो रहा है पारिवारिक बटवारें के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी क्रम 1 को मुनाफा काश्त पर दी थी अप्रार्थी क्रम 1 आधी फसल बतौर पांती हर साल देता रहा अप्रार्थी क्रम 1 के मन मे बेईमानी आ जाने से प्रार्थीगण को पांती की आधी फसल देने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी क्रम 1 मृतक मांग्या का फोती नामान्तरण प्रार्थीगण की जगह फर्जी तरीके से अपनी पुत्रियों के नाम खुलवाना चाहता है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ग बेचान अन्य व्यक्तियों को करना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया कर विवादित भूमि को रिसीवर किया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पैत्रक नही है इसलिए प्रार्थीगण उक्त आराजी में कानूनन किसी प्रकार को कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि ग्राम बोरखेडी, मोहम्मदपुर, माणकचौक को बेचान किया जा चुका है। उक्त भूमि में हिस्सा नही है। प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ जाने से जमीनों की कीमत बढ जाने से विवादित आराजी को लेकर बेचान करना चाहती है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को नजायज परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण द्वारा पैत्रक सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नही किया प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पैत्रक साबित नही की। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पीपलखेडी तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 29 के अनुसार मांग्या पुत्र हरलाल जाति लोधा का नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता के खातेदारी की है प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पैत्रक होना बताया है प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 17.05.2018 को होना बताया है पिता की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण मृतक मांग्या के वारिसान के नाम दर्ज होना है प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए दावा करने की आवश्यकता नही थी प्रस्तुत जमाबन्दी में खातेदार मृतक मांग्या का नाम दर्ज है विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी में नही है प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी को रिसीवर कराने का आधार मानने योग्य नही है क्योकि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता के खातेदारी में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा